इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 348] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 11 जुलाई 2017—आषाढ़ 20, शक 1939

### वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2017

क्र. एफ ए-3-51-2017-1-पांच (71).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 70-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिसकी उक्त अधिनियम की धारा 70-क की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार सूचना दिनांक 7 जुलाई 2017 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में पूर्व में ही प्रकाशित की जा चुकी है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के भाग 2 के अनुक्रमांक 56 के सम्मुख, कॉलम (3) में अंक "5" के स्थान पर अंक "18" स्थापित किया जाए.

2. यह अधिसूचना 12 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एस. डी. रिछारिया,** उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2017

क्र. एफ ए-3-51-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-51-2017-1-पांच (71), दिनांक 11 जुलाई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एस. डी. रिछारिया,** उपसचिव.

Bhopal, the 11th July 2017

No. F. A.-3-51-2017-1-V (71).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 70-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendments in Schedule II of the said Act, notice of which having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary), dated 7th July 2017 as required by the proviso to sub-section (1) of Setion 70-A of the said Act, namely:—

AMENDMENTS

In Schedule II, in Part-II, of the said Act, against serial No. 56, in column (3) for the figure "5'' the figure "18'' shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 12th day of July, 2017.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.